

प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 21-02-2021

10000-10000 रु० के इनामिया व गैगेस्टर एक्ट के वान्छित दो नफर अभियुक्त कुल 48 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) के साथ गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा इनामिया/ गैगेस्टर के वान्छित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक बासगाव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह मय हमराह का० दीपू कुँवर ,का० विजय यादव ,का० विनीत कुमार यादव मय सरकारी बुलेरो सं० UP53AG1358 के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र तलाश संदिग्ध व्यक्ति,संदिग्ध वाहन व तलाश वान्छित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में गगहा चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की आपके थाने के गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित पुरस्कार घोषित वान्छित अभियुक्त दिनेश निषाद व विनोद सिंह उर्फ डब्बू जो थाना अहिरौला आजमगढ के रहने वाले है जो नशीला पदार्थ भी अपने पास रखते है व बेचते है जो कहला ओवर ब्रिज के पास पश्चिम के तरफ छुप कर नशीला पदार्थ बेच रहे है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके कहला न्यू ओवर ब्रिज के पास पहुचे तो ओवर ब्रिज के सामने पश्चिम तरफ दो खडे व्यक्तियों के तरफ मुखबीर इशारा करके बताया कि साहब वही दोनो व्यक्ति है जो गैगेस्टर के अभियुक्त है और उनके पास नशील पदार्थ भी है। हम पुलिस वाले चारो तरफ से घेरा बन्दी करके खडे दोनो व्यक्ति के पास जैसे ही पहुचे तो अचानक देखकर भागने का प्रयास किया दोनो व्यक्तियों को घेर कर मौके पर ही पकड लिया गया। नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना दिनेश निषाद पुत्र रामदास निवासी वरनपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ व दूसरे ने अपना नाम विनोद सिंह उर्फ डब्बू पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी शम्भूपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ बताया। जो थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 403/19 धारा 3(1) UP गैगेस्टर एक्ट के पुरस्कार घोषित वान्छित अभियुक्त है अवगत कराकर समय करीब 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 64/21 व मु०अ०सं० 65/21 धारा 8/21 NDPS ACT. का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1-दिनेश निषाद पुत्र रामदास निवासी वरनपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ सम्बन्धित मु०अ०सं० 403/19 धारा 3(1) UP गैगेस्टर एक्ट
- 2- विनोद सिंह उर्फ डब्बू पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी शम्भूपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ सम्बन्धित मु०अ०सं० 403/19 धारा 3(1) UP गैगेस्टर एक्ट

बरामदगी –

अभियुक्त दिनेश निषाद के पास से 25 ग्राम व विनोद सिंह उर्फ डब्बू के पास से 23 ग्राम कुल 48 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

न्यू ओवर ब्रिज बहद ग्राम कहला दिनांक 20 .2.21 व समय 21.40 बजे रात्रि

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दिनेश निषाद उपरोक्त

- 1- मु०अ०सं० 101/19 धारा 328/394/411 आईपीसी० थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 2- मु०अ०सं० 403/19 धारा 3(1) UP गैगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 3- मु०अ०सं० 64/21 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना गगहा जनपद गोरखपुर

4- मु0अ0सं0 106/19 धारा 379/328 आईपीसी0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

5- मु0अ0सं0 325/19 धारा 8/20 NDPS ACT. थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

6- मु0अ0सं0 326/19 धारा 7/25.A. ACT. थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त विनोद सिंह उर्फ डब्बू उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 101/19 धारा 328/394/411 आईपीसी0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर

2- मु0अ0सं0 403/19 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर

3- मु0अ0सं0 65/21 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना गगहा जनपद गोरखपुर

4- मु0अ0सं0 106/19 धारा 379/328 आईपीसी0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

5- मु0अ0सं0 108/19 धारा 328/379/411 आईपीसी0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

(1) श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(2) उ0नि0 श्री प्रधान यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(3) उ0नि0 श्री विनय कुमार मिश्रा थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(4) का0 दीपू कुंवर थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(5) का0 विजय यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(6) का0 विनित कुमार यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(7) का0 अमित कुमार पटेल थाना गगहा जनपद गोरखपुर